



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2016/160

सेवा में,

दिनांक :- 13/05/2016

प्रबन्धक/सचिव

जय बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी,
बबीना, झाँसी।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित जय बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बबीना, झाँसी को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2016 से सशर्त सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

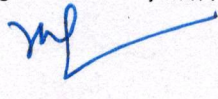
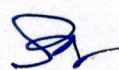
महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 सम्ब0-1146/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन जय बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बबीना, झाँसी को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 02.05.2016 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आख्या में की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित कमियां इंगित की गई है :-

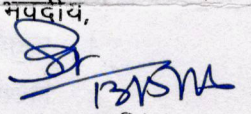
1. प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु प्रवक्ताओं के फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र तथा वेतन भुगतान का विवरण संलग्न नहीं है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी ने स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जय बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बबीना, झाँसी को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2016 से आगामी दो वर्ष के लिए सशर्त सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षाओं में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।

5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
7. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयों के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षाओं व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्रावधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भुवदीय,

 (व्यास नारायण सिंह)
 कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. समाज कल्याण अधिकारी, झांसी।
5. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव